**बिहार सरकार**
**(नगरपालिका प्रशासन निदेशालय)**
**नगर विकास एवं आवास विभाग**

## अधिसूचना

सं०स०–10 / न0प्र0नि0–23 / 2021..... / बिहार मोबाईल टॉवर आप्टिकल फाईबर केबल्स और संबंधित दूरसंचार अवसंरचना नियमावली, 2020 के नियम–9.10 में यह प्रावधान है कि मौजूदा अनाधिकृत मोबाईल टॉवरों या ओ0एफ0सी0 के स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन नियमावली के जारी होने के छह महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, जिस अवधि के बाद इस मामले को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निष्पादित किया जाएगा। नियत समय के भीतर आवेदन जमा होने के बाद, संबंधित स्थानीय प्राधिकरण द्वारा आवेदन के निपटान तक मोबाईल टॉवर अथवा ओ0एफ0सी0 का संचालन बंद नहीं किया जाएगा। यदि स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किसी भी अनाधिकृत मोबाईल टावरों या ओ0एफ0सी0 की स्वीकृति नहीं दी जाती है तो उसकी अपील सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दायर की जा सकती है।

2. उल्लेखनीय है कि नियमावली के नियम–3.1 के प्रावधानानुसार अधिसूचना निर्गत की तिथि (19.08.2020) से छह महीने की अवधि (19.02.2021) के अंदर एकल एलेक्ट्रॉनिक आवेदन प्रक्रिया स्थापित किया जाना था। ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति हेतु पोर्टल विकसित किया जा चुका है। परन्तु विगत वर्ष में कोरोना संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में घोषित लॉकडाउन के कारण आवेदन समर्पित करने में मोबाईल सेवा प्रदाता कम्पनियों के कठिनाइयों पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार मोबाईल टॉवर, आप्टिकल फाइबर केबल्स और संबंधित दूरसंचार अवसंरचना नियमावली, 2020 के नियम–3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत उक्त नियमावली के नियम–9.10 में निर्धारित अवधि को दिनांक–19.02.2021 से अगले छह माह अर्थात् दिनांक–19.08.2021 तक विभागीय अधिसूचना संख्या–सह–ज्ञापांक–1401 दिनांक–19.03.2021 द्वारा विस्तारित किया गया था।

3. यह भी उल्लेखनीय है कि विगत दिनों कोरोना संक्रमण का पुनः प्रभाव के आलोक में राज्य में घोषित लॉकडाउन के परिस्थितिजन्य कारणों से विभिन्न टेलिकॉम कम्पनियों को विस्तारित अवधि में भी ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति में कठिनाई के कारण टेलिकॉम कम्पनियों द्वारा अवधि विस्तार का अनुरोध किया गया है।

4. अतएव वर्णित स्थिति पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार मोबाईल टॉवर आप्टिकल फाइबर केबल्स और संबंधित दूरसंचार अवसंरचना नियमावली, 2020 के नियम–3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों

के तहत उक्त नियमावली के नियम–9.10 में निर्धारित एवं विस्तारित दिनांक–19.08.2021 की अवधि को अगले तीन माह अर्थात् दिनांक–19.11.2021 तक विस्तारित किया जाता है।

5. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से
ह0/–

**(राम सेवक प्रसाद)**
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–10/न0प्र0नि0–23/2021 /न0वि0एवंआ0वि0 पटना, दिनांक–
प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
**सरकार के अवर सचिव।**

ज्ञापांक–10/न0प्र0नि0–23/2021 3221 /न0वि0एवंआ0वि0 पटना, दिनांक–27/10/21

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार/मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव/उपमुख्य मंत्री के आप्त सचिव/मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार/ भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकार, बिहार/भू–सम्पदा अपीलीय न्यायधीकरण, बिहार/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना एवं विकास निगम, पटना/प्रंधक निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम /कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद एवं नगर पंचायत/बिहार शहरी विकास अभिकरण/नगर तथा क्षेत्रीय निवेशन संगठन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/10/2021
**सरकार के अवर सचिव।**